



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272800
CG-DL-E-22052026-272800

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 07]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2026/ज्येष्ठ 1, 1948

No. 07]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2026

का.नि.आ. 7(अ).— केन्द्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2006 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियत करती है कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) में उल्लिखित क्रम सं 63 के सामने, उक्त अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ (5) में उल्लिखित छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) के संशोधन, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 6(2)/2020-रक्षा(क्यू एंड सी)/वॉल. III]

प्रीति मीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd May, 2026

S.R.O. 7(E)— In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints that the amendments to the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) mentioned in column (5) of Schedule to the said Act, against the serial number 63 mentioned in column (1) of said Schedule, shall come into force from the date of publication of this notification.

[F. No. 6(2)/2020-D(Q&C)/Vol.III]

PREETI MEENA, Jt. Secy.